न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी :– अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–84 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, घड़साना .....प्रार्थी

बनाम

जेठूराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी साकिन 3 एम एल डी बी तहसील घड़साना, ... अप्रार्थी

रैफरेंस अर्न्तगत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. पैरोकार राज, राज्य पक्ष की ओर से ।
2. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से ।

।। निर्णय।।

दिनांकः– 18/12/2024

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि जमाबन्दी के अनुसार ग्राम आनन्द बेरा के ख.सं. 06 की 33 बीघा 08 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन जोहड़ / जोहड़ पायतन दर्ज है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आंवटन अधिकारी घड़साना के आदेश दिनांक 19.06.1976 के द्वारा चक 3 एम एल डी बी का पत्थर नं. 68 / 03 का किला नं. 1, 7, 8, 12 ता 14 कुल 1.518 हैक्टयर भूमि आवंटन पश्चात जमाबंदी में अप्रार्थी जेठूराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी साकिन 3 एम एल डी बी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म जोहड / जोहड पायतन दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। अतः रैफरैंस स्वीकार करते हुए आवंटित उक्त भूमि को निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जावे।

रैफरेन्स पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री तिलक राज चुघ अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि मद सं. 01 रिकॉर्ड से सम्बन्धित है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से है जिसका विधि अनुसार आवंटन हुआ है। वहां कभी भी जोहड़ पायतन नहीं रहा है। रेफरेन्स की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को होने के कारण यह रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः जबाव रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन एकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन का अधिकार सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी घड़साना मुकाम अनूपगढ़ को नहीं था अतः जैर रैफरेन्स आदेश दिनांक 19.06.1976 विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाव में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

Power to call for record and proceeding and reference to state Government or Board- The Settlement Commissioner or the Directore of Land Records or

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Collector may call for and examine the reord of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that th proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement.

and the Board or the State Government, as the case may be, shall there upon pass such order as it thinks fit.

राज्य सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(3) राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जपपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका सं. 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में निम्न निर्देश प्रसारित किये गये कि:–

5. 1955 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कोई भी भूमि जो गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बाध अथवा पायतन उल्लेखित है, का आवंटन व नियमन सभी उद्धेश्यों (कृषि व गैर कृषि प्रयोजन) के लिए प्रतिबन्धित है।
6. 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन, उक्त प्रकार की भूमियों में जो नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज रेकार्ड थे तथा भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि प्रयोजनार्थ अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये हैं, उन समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों सहित रेफरेन्स दर्ज करवा कर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

दौराने बहस राजपैरोकार द्वारा जोहड़ पायतन दर्ज भूमि को खसरा नम्बर से चकबन्दी एवं मुरब्बाबन्दी हेतु तैयार सूची सं. 04 में वर्णित भूमि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। उक्त जोहड पायतन दर्ज भूमि एवं चकबन्दी उपरान्त सूची सं. 04 में वर्णित भूमि का सही मिलान होना पाया गया है। प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, घड़साना द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, सूची नं. 04 आदि दस्तावेजनानुसार प्रमाणित है कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी जेठूराम पुत्र पूर्णराम के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश तहसीलदार घड़साना को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रैफरैंस माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अनूपगढ़।